रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2005/आषाढ़ 8, 1927
No. 652] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2005/ASADHA 8, 1927

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2005

का.आ. 900(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कम्पनियों या कम्पनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियां और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति नामक सलाहकार समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(1) श्री येज़दी एच. मालेगम, चार्टर्ड अकाउंटेंट	अध्यक्ष (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(2) अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(3) अध्यक्ष, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(4) अध्यक्ष, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(5) भारतीय रिज़र्व बैंक का नामनिर्देशिती	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(6) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नामनिर्देशिती	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(7) डॉ. एन. बालसुब्रमणियन, भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर का नामनिर्देशिती	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(8) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नामनिर्देशिती	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(9) दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री का नामनिर्देशिती	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(10) पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री का नामनिर्देशिती	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नामनिर्देशिती	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(12) संयुक्त सचिव, कम्पनी कार्य मंत्रालय	सदस्य (31-8-2005 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/5/2001-सी.एल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2005

S.O. 900(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accouting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely :—

(1) Shri Yezdi H. Malegam, Chartered Accountant	Chairperson (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (a) of Sub-section (2) of Section 210A]
(2) President of the Institute of Chartered Accountants of India	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]
(3) President of the Institute of Company Secretaries of India	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]
(4) President of the Institute of Cost and Works Accountants of India	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 210A]
(5) Nominee of the Reserve Bank of India	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (d) of Sub-section (2) of Section 210A]

(6)	Nominee of the Comptroller and Auditor General of India	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (e) of Sub-section (2) of Section 210A]
(7)	Dr. N. Balasubramanian, Nominee of the Indian Institute of Management Bangalore	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (f) of Sub-section (2) of Section 210A]
(8)	Nominee of the Central Board of Director Taxes	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (g) of Sub-section (2) of Section 210A]
(9)	Nominee of the Associated Chamber of Commerce and Industry	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (h) of Sub-section (2) of Section 210A]
(10)	Nominee of the Federation of PHD Chambers of Commerce and Industry	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (h) of Sub-section (2) of Section 210A]
(11)	Nominee of the Securities and Exchange Board of India	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (i) of Sub-section (2) of Section 210A]
(12)	Joint Secretary, Ministry of Company Affairs	Member (shall hold office up to 31-8-2005) [nominated under clause (e) of Sub-section (2) of Section 210A]

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2001-CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.